

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पिठासीन अधिकारी:- मनसुख राम डामोर, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 19/2018 वाद

दायर दिनांक 22.02..2018

निर्णय दिनांक 21.01.2021

अनवान

1. नारायण लाल पिता उदयराम जाति ब्राहमण निवासी सादडी तहसील रेलमगरा

वादी

विरुद्ध

1. गंगावाई विधवा मोडीराम जाति ब्राहमण निवासी सादडी तहसील रेलमगरा
2. लीलावाई पिता मोडीराम पत्नी कन्हैयालाल जाति ब्राहमण निवासी सादडी
3. माधवलाल पिता फतहलाल जाति ब्राहमण निवासी सादडी तहसील रेलमगरा
4. बदामवाई विधवा चुन्नीलाल पत्नी मुकेश जाति ब्राहमण निवासी सादडी तहसील रेलमगरा
5. चन्दा पिता चुन्नीलाल पत्नी मुकेश जाति ब्राहमण निवासी सादडी तहसील रेलमगरा
6. माया पिता चुन्नीलाल पत्नी भगवती लाल निवासी सादडी हाल निवासी डिण्डोली
7. कान्ता पिता चुन्नीलाल पत्नी भगवतीलाल निवासी सादडी हाल निवासी झौर
8. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा
9. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा मोही जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् विभाजन का प्रस्तुत किया कि ग्राम सादडी पटवार हल्का सादडी में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 576, 577, 580, 585, 632, 634, 636, 638, 625 कुल किता 09 कुल क्षेत्र 24 बीघा 14 बिस्वा भुमि स्थित है तथा वादग्रस्त भूमियों में वादी का हिस्सा निहित है। जिस पर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर अधिवक्ता पक्षकारान ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत् विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	नारायण लाल पिता उदेराम ब्राहमण सा.दे.खा रहन आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा मोही	625	01.16	00.91
	योग :-	किता-01	01.16	00.91
2.	चन्दा माया कान्ता पिता चुन्नीलाल बदामी देवी पति स्व. चुन्नीलाल ब्राहमण सा.दे.खा	625/2	04.11	02.27
	योग :-	किता-01	04.11	02.27
3.	माधव लाल पिता फतहलाल ब्राहमण सा.दे.खा.	625/03	04.11	02.27
	योग :-	किता-01	04.11	02.27

र/सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

4.	लीला बाई पिता मोडीराम गंगा बाई पति मोडीराम ब्राहमण सा.दे.खा.	625/4	02.16	01.40
	योग :-	किता-01	02.16	01.40
5.	माधवलाल पिता फतहलाल 1/3 चन्दा माया कान्ता पिता चुन्नीलाल बदामी देवी पति स्व.चुन्नीलाल 1/3 लीला बाई पिता मोडीराम गंगाबाई पति मोडीराम 1/6 नारायण लाल पिता उदेराम 1/6 ब्रा.सा.दे.खा. रहन आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा मोही हिस्सा नारायण लाल पिता उदेराम 1/6 पर	625/1	00.06	00.15
	योग :-	किता-01	00.06	00.15
6.	नारायण लाल पिता उदयलाल ब्राहमण सा.दे.खा.रहन आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा मोही	576 577 580 585 632 634 636	00.18 00.14 00.17 00.08 00.16 01.10 00.13	04.04 01.88 03.83 01.57 01.06 03.30 01.43
	योग :-	किता-07	05.16	17.11
7.	लीला बाई पिता मोडीराम गंगाबाई पति स्व. मोडीराम ब्रा. सा.दे.खा	576 577 580 585 632 638	00.17 00.14 00.17 00.08 00.17 01.04	02.68 01.89 03.82 01.57 01.08 00.36
	योग :-	किता-06	04.17	11.40
8.	लीलाबाई पिता मोडीराम 1/4 गंगाबाई पति स्व. मोडीराम 1/4 नारायण लाल पिता उदयलाल 1/2 सा.दे.खा.रहन आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा मोही हिस्सा नारायण लाल पिता उदयलाल 1/2 पर	638/1	00.01	00.02
	योग :-	किता-01	00.01	00.02

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रेकार्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। रहन यथावत् रखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा